

भारत गणराज्य की सरकार और एस्तोनिया गणराज्य की सरकार के बीच  
संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेल-कूद, कला, जन-संचार माध्यमों,  
पर्यटन और युवा मामलों के क्षेत्रों में सहयोग के  
संबंध में करार।

.....

भारत गणराज्य की सरकार और एस्तोनिया गणराज्य की सरकार, जिन्हें इस करार  
में इसके बाद पक्ष कहा गया है,

संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेल-कूद, कला, जन-संचार माध्यमों, पर्यटन और युवा  
मामलों के क्षेत्रों में अपने संबंध और विकसित करने की इच्छा से,

निम्नलिखित बातों पर सहमत हुई है:-

अनुच्छेद - एक

दोनों पक्ष दोनों देशों के विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के  
बीच सीधे सम्पर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे और सुविधाजनक बनाएंगे, तथा दूसरे  
पक्ष द्वारा अपने शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में अध्ययन,  
प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्य करने और विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुशंसित राष्ट्रियों का  
आदान-प्रदान संवर्धित करेंगे।

अनुच्छेद-दो

दोनों पक्ष शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित सूचना, दस्तावेजों और प्रकाशनों के  
आदान-प्रदान को संवर्धित करेंगे।

### अनुच्छेद-तीन

दोनों पक्ष एक-दूसरे को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, वाक्-प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, गोष्ठियों और इसी प्रकार की अन्य बैठकों में आमंत्रित करेंगे।

### अनुच्छेद-चार

प्रत्येक पक्ष अपने-अपने देश की भाषा और संस्कृति का ज्ञान और उसके प्रति जागरूकता संवर्धित करने के उद्देश्य से भाषा, साहित्य और संस्कृति से संबंधित ग्रीष्मकालीन पठ्यक्रमों में दूसरे पक्ष के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे।

### अनुच्छेद-पांच

दोनों पक्ष एक-दूसरे के साहित्य और लोक-साहित्य के अनुवाद और प्रकाशन को प्रोत्साहन देंगे, जिसका व्यौरा आपसी सहमति से तय किया जाएगा।

### अनुच्छेद-छह

दोनों पक्ष संस्कृति, इतिहास और भूगोल के विषयों पर शैक्षिक सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे ताकि एक-दूसरे को अपने-अपने देशों के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी दे सकें।

### अनुच्छेद-सात

दोनों पक्ष दोनों देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालयों और संग्रहालयों के बीच सहयोग प्रोत्साहित करेंगे तथा समान हित के क्षेत्र में प्रकाशनों का आदान-प्रदान बढ़ाएंगे।

#### अनुच्छेद-आठ

दोनों पक्ष अपने-अपने देशों में आयोजित कलात्मक कार्यक्रमों और उत्सवों पर जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे और इन कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रोत्साहन देंगे।

#### अनुच्छेद-नौ

दोनों पक्ष अन्योन्य आधार पर ललित और व्यावहारिक कलाओं के क्षेत्र में प्रदर्शिनियों के आदान-प्रदान की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे।

#### अनुच्छेद-दस

मंचीय कला के क्षेत्र में दोनों पक्ष दोनों देशों में आयोजित संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अपने-अपने प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन देंगे।

#### अनुच्छेद-ग्यारह

दोनों पक्ष पुरातत्व विज्ञान और संग्राहालय विज्ञान के क्षेत्रों में और ऐतिहासिक तथा पुरातत्वीय सम्पत्ति की संरक्षा और बहाली में सहयोग संवर्धित करेंगे तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

#### अनुच्छेद-बारह

दोनों पक्ष दोनों देशों के रेडियो और टेलीविजन अधिकारियों के बीच सीधे सम्पर्कों को प्रोत्साहित करेंगे और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान संवर्धित करेंगे।

### अनुच्छेद-तेरह

दोनों पक्ष दोनों देशों में खेल-कूद और युवा संगठनों के बीच सहयोग विकसित करेंगे ताकि खेल-कूद और युवा क्रिया-कलापों की विभिन्न शाखाओं में प्रतिनिधिमण्डलों, शिबिरों, प्रशिक्षकों, विशेषज्ञों और छात्रों का तथा सूचना और दस्तावेजों का आदान-प्रदान संवर्धित किया जा सके।

### अनुच्छेद-चौदह

दोनों पक्ष पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे और उसे विकसित करेंगे।

### अनुच्छेद-पन्द्रह

इस करार की शर्तों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ दोनों पक्ष प्रत्येक पक्ष के बराबर-बराबर प्रतिनिधियों का एक संयुक्त दल गठित करेंगे। इस संयुक्त दल की दिल्ली और तालिन में बारी-बारी से परस्पर सहमत तारीखों को बैठक होगी। यह संयुक्त दल निम्नलिखित कार्य करेगा:

॥क॥ आदान-प्रदान और सहयोग के विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना, और

॥ख॥ इस करार के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करना।

### अनुच्छेद-सोलह

यह करार दोनों पक्षों द्वारा इस करार को लागू करने के लिए इसकी संगत आन्तरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की पूर्णतः सम्बद्ध बाद की अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और पांच-पांच वर्ष की आगामी अवधि के लिए तब तक स्वयंमैव नवीकृत होता रहेगा जब तक कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार के समाप्त होने की तारीख से 6 माह पूर्व इसे समाप्त करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना न दे दे।

नई दिल्ली में आज ईसवी सन् एक हजार नौ सौ तिरानवे के अक्तूबर मास के पन्द्रहवें दिन हिन्दी, एस्तोनियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न, ये सभी पृष्ठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इसकी व्याख्या में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पृष्ठ सर्वोपरि होगा।



भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से



एस्तोनिया गणराज्य की सरकार  
की ओर से

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON  
COOPERATION IN THE SPHERES OF CULTURE, EDUCATION, SCIENCE,  
SPORTS, ARTS, MASS-MEDIA, TOURISM AND YOUTH AFFAIRS

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as Parties, - desirous of further development of their relations in the fields of culture, education, science, sports, arts, mass-media, tourism and youth affairs -

Have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Parties shall encourage and facilitate direct contacts and cooperation between universities, educational and scientific research institutions of both countries and promote the exchange of nationals recommended by the other party for study, training, carrying out research work and specialisation in its educational, cultural, scientific and technical institutions.

ARTICLE 2

The Parties shall promote the exchange of information, documents and publications concerning education, science and culture.

ARTICLE 3

The Parties shall invite each other to the international congresses, colloquia, symposia, seminars and other similar meetings.

ARTICLE 4

Each Party shall invite representatives of the other party to summer courses in language, literature and culture in order to promote knowledge and awareness of the language and culture of their respective countries.

#### ARTICLE 5

The Parties shall encourage the translation and publication of each others literature and folklore, the details of which will be settled by mutual agreement.

#### ARTICLE 6

The Parties shall exchange educational materials on culture, history & geography in order to give each other correct and adequate information about their respective countries.

#### ARTICLE 7

The Parties shall encourage the cooperation between the National Libraries and Museums of both countries and shall promote the exchange of publications in fields of common interest.

#### ARTICLE 8

The Parties shall exchange information on the artistic events and festivals organized in their respective countries and encourage participation in these events.

#### ARTICLE 9

The Parties shall study the possibility of exchanging exhibitions in the field of fine and applied arts on the basis of reciprocity.

#### ARTICLE 10

In the field of performing arts the Parties shall encourage their representatives to take part in music and other cultural events held in both countries.

#### ARTICLE 11

The Parties shall promote cooperation in the fields of archaeology, museology and the preservation and restoration

of historical and architectural heritage and shall exchange publications in respective fields.

#### ARTICLE 12

The Parties shall encourage direct contacts between the radio and television authorities of both countries and shall promote the exchange of programmes.

#### ARTICLE 13

The Parties shall develop cooperation between sports and youth organisations in the two countries in order to promote the exchange of delegations , teams, trainers, experts and students as well as information and documents in various branches of sports and youth activities.

#### ARTICLE 14

The Parties shall promote and develop cooperation in the field of Tourism.

#### ARTICLE 15

The Parties shall set up a Joint Group consisting of an equal number of representative of each Party for the purposes of implementation of this Agreement. The Joint Group shall meet alternatively in Delhi and Tallinn - on mutually agreed dates. The Joint Group shall:

- (a) formulate detailed programmes, of exchange and co-operation; and
- (b) periodically review the implementation of the Agreement.

#### ARTICLE 16

The Agreement shall enter into force on the date of the latter notification confirming the fulfilment by either Party of its relevant internal procedures for the entering into force of the Agreement.



The Agreement shall be in force for a period of five years. It shall be automatically renewed for an additional period of five years, unless one of the Parties notifies the other in writing, six months before the date of expiration, of its intention to terminate the Agreement.

Done at New Delhi on 15th October, 1993 in duplicate, in Hindi, Estonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.



For the Government of the  
Republic of India



For the Government of the  
Republic of Estonia